न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 विविध —एक / 16

भैयालाल ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ——— अनावेदक

भूल–सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :—

1– यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1464–एक / 16 में दिनांक 19.05.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से निगरानी मेमो के पृष्ठ कमांक–1 के पैराग्राफ–2 के लाइन नम्बर–2 में खसरा नम्बर 142 के स्थान पर त्रुटिवश खसरा नम्बर 182 टंकित हो गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त निगरानी मेमो के पृष्ठ कमांक–1 के पैराग्राफ–2 के लाइन नम्बर–2 में खसरा नम्बर 182 के स्थान पर खसरा नम्बर 142 टंकित किये जाने की कृपा की जावें।

इति दिनांक 18 / 10 / 16

स्थान– ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

रजनी वशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9204–एक / 16 जिला –टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। उनके द्वारा तर्क में बताया गया है राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 1464–एक / 16 में पारित आदेश दिनांक 19.5.16 को आदेश पारित किया गया है उसकी निगरानी मेमों में अधिवक्ता की त्रुटि से पृष्ठ कमांक 1 के पैरा ग्राफ 2 के लाइन नम्बर–2 में खसरा नम्बर 142 के स्थान पर त्रुटिवश खसरा न0 182 टंकित हो गया है। उसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी मेमों के पृष्ठ कमांक 1 के पैरा ग्राफ 2 के लाइन नम्बर–2 में खसरा नम्बर 182 के स्थान पर 142 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	